अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय पर क्लेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंसों की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरीज में उत्पादित स्पिरिट/बीयर और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को आयात/निर्यात पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

ठेकों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अंतिमकृत किया जाता है और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी जिला मुख्यालय में तैनात होता है। उनका मुख्य कार्य विभाग की आय और व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा करना है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 106 इकाइयों में से 24 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 666 मामलों में ` 35.45 करोड़ (2020-21 के लिए ` 6,864.42 करोड़ की प्राप्ति का 0.52 प्रतिशत) से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो **तालिका 3.1** में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (` करोड़ में)
1.	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	122	14.72
2.	विक्रेताओं को आबंटित त्रैमासिक कोटे को कम उठाने के लिए पेनल्टी का उद्ग्रहण न करना	179	15.07
3.	मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर जोनों का आबंटन न होना	2	3.93
4.	स्टॉक ट्रांसफर फीस की कम वसूली	1	0.13
5.	विविध अनियमितताएं	362	1.60
	योग	**666**	**35.45**

(स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा)

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 473 मामलों में आवेष्टित ₹ 34 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 15 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.00 करोड़ वर्ष 2021-22 में वसूल/समायोजित किए।

₹ 7.46 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 उल्लंघन के मामले में पेनल्टी, लाइसेंस फीस और लंबित लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली

विभाग ने अवैध शराब के लिए अपराधियों से पेनल्टी वसूलने और आबंटियों से लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने की पहल नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

(i) एल-1 और एल-13 लाइसेंस के उल्लंघन के मामलों में पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 36 (सी) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस, परमिट या पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस तरह के लाइसेंस के धारक द्वारा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में इसे रद्द या निलंबित कर सकता है। आबकारी नियम/नीति के अनुसार, उल्लंघन के मामलों में शराब के स्टॉक में कमी/अधिकता, न्यूनतम बिक्री मूल्य से कम कीमत पर शराब बेचना, लेबल पर निर्धारित से कम स्ट्रेंथ वाली शराब, शराब का ऐसा ब्रांड बेचना जिसकी अनुमति नहीं है, ड्राई-डे पर शराब की दुकान खोलना, दुकान खोलने के निर्धारित समय का उल्लंघन करना आदि शामिल हैं। आगे, हरियाणा शराब लाइसेंस नियम (एच.एल.एल.) 1970 के नियम 37 (36) में प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंसधारक किसी भी कानून के अंतर्गत रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी या तो (i) लाइसेंस रद्द कर सकता है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा कि वह उस व्यवसाय को करने के लिए उचित समझे जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था और उसके संबंध में भुगतान की गई कोई फीस या जमा को सरकार के लिए जब्त कर लिया जाएगा, या (ii) लाइसेंसधारक को ऐसी अतिरिक्त फीस के भुगतान पर जिसे वह स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समझे, लाइसेंसधारक को अपने पास रखने की अनुमति देगा।

लाइसेंसधारियों की प्रतिभूति जमा राशि (कुल लाइसेंस फीस का तीन प्रतिशत) के रिफंड/समायोजन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 के रिकॉर्ड में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), अंबाला के कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 16 नवंबर 2021 के रिफंड समायोजन आदेश[1] (रि.स.आ.) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए

[1] रिफंड समायोजन आदेश (रि.स.आ.) संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसमें कुल उपलब्ध प्रतिभूति जमा, लाइसेंसधारी की कुल बकाया राशि और प्रतिभूति जमा के विरुद्ध बकाया राशि के समायोजन के विवरण दर्शाता है। यह वसूली योग्य बकाया राशि/प्रतिभूति जमा को लाइसेंस फीस की भविष्य की किस्तों के विरुद्ध रिफंड/समायोजित किए जाने को भी दर्शाता है, जैसा भी मामला हो।

एल-1 और एल-13 लाइसेंस[2] के संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा मैसर्ज शौकीन वाइन पर ₹ 5.99 करोड़ की राशि का उल्लंघन वाले केस पर पेनल्टी लगाई गई थी। इसमें से वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंसधारी की ₹ 1.24 करोड़ की प्रतिभूति जमा राशि के विरुद्ध ₹ 1.02 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की गई थी। प्रतिभूति जमा की शेष राशि को (i) ज़ोन-जेड.ए.एम.बी.47 एवं जेड.ए.एम.बी.37 के खुदरा दुकान के लिए अतिरिक्त लाइसेंस फीस (ii) एल-2बी.एफ.[3] के लिए लंबित लाइसेंस फीस और (iii) वर्ष 2020-21 के लिए एल-2बी.एफ. की लाइसेंस फीस विलंब से जमा करने पर ब्याज के विरूद्ध समायोजित किया गया था। इस प्रकार, उल्लंघन के मामलों में पेनल्टी की शेष राशि ₹ 4.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए एल-1 और एल-13 लाइसेंस के संबंध में मैसर्ज सुशील कुमार पर उल्लंघन के मामलों में ₹ 3.85 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। इसमें से ₹ 2.12 करोड़ (वसूली ₹ 0.84 करोड़ + प्रतिभूति से समायोजित ₹ 1.28 करोड़) की राशि वसूल/समायोजित की गई थी और ₹ 1.73 करोड़ (₹ 3.85 करोड़ - ₹ 2.12 करोड़) की पेनल्टी की शेष राशि बकाया रही।

इस प्रकार, उपर्युक्त दो लाइसेंसधारियों से उल्लंघन के मामले की पेनल्टी के रूप में ₹ 6.70 करोड़ (₹ 4.97 करोड़ + ₹ 1.73 करोड़) की कुल राशि वसूल नहीं की गई थी।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

(ii) खुदरा दुकानों के लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.4 में प्रावधान है कि भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान करेगा। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की आबकारी नीति में संशोधन के अनुसार, जून माह के लिए किस्त का 5 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत का भुगतान क्रमशः 5 जून और 15 जून को किया जाना था और शेष महीनों में किस्तों का भुगतान प्रत्येक माह की 15 तारीख को किया जाना था। ऐसा करने में विफल रहने से लाइसेंसधारी, उस माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किस्त या उसके किसी भाग के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे, राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो संबंधित जिले के

---

2. एल-1 लाइसेंस विदेशी शराब के थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए है और एल-13 लाइसेंस देसी शराब के थोक विक्रेताओं के लिए है।
3. एल-2बी.एफ. लाइसेंस भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और बार लाइसेंसधारियों की खुदरा दुकानों द्वारा आयातित विदेशी शराब (आई.एफ.एल.) बोतलबंद मूल (बी.आई.ओ.) की खुदरा बिक्री के लिए है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अगले महीने के पहले दिन ठेके के जोन को सील किया जाना था और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

वर्ष 2020-21 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), अंबाला के कार्यालय के अगस्त 2021 और जुलाई 2022 में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि दुकानों के कुल 58 में से 42 वेंडों के जोन[4] ने ₹ 53.04 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान निर्धारित देय तिथि के बाद 16 एवं 86 दिनों (36.25 दिनों के औसत विलंब) के मध्य के विलंब से किया था। लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 97.22 लाख के ब्याज की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए वेंडों को सील करने या ब्याज वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने 19 जोनों के संबंध में ₹ 21.51 लाख की बकाया राशि की वसूली की, जबकि शेष 23 जोनों के संबंध में ₹ 75.71 लाख की शेष राशि की वसूली लंबित थी।

यह मामला अगस्त 2021 और जुलाई 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के विलंबित भुगतान पर ब्याज, लाइसेंसधारियों द्वारा गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर (जी.आर.एन.) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा किया गया था और लंबित ब्याज की वसूली, रिफंड समायोजन आदेश के माध्यम से लाइसेंसधारियों से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर के माध्यम से और प्रतिभूति जमा की उपलब्ध राशि के समायोजन के रूप में केवल ₹ 21.51 लाख की राशि वसूल की गई थी जबकि ब्याज की बकाया राशि ₹ 97.22 लाख थी। इस प्रकार, गवर्नमेंट रिफरेन्स नंबर (जी.आर.एन.) की कुल राशि और सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित राशि को ध्यान में रखने के बाद भी, ₹ 75.71 लाख के ब्याज की राशि अभी भी (सितंबर 2022) वसूली के लिए लंबित थी।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

[4] शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें आबंटन के उद्देश्य से जोन में समूहीकृत होती हैं। किसी जोन का कमांड क्षेत्र आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। प्रत्येक जोन के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है।